IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्रों में सफेदपोश अपराध: एक महत्वपूर्ण अध्ययन

PREETI TIWARI

Amrit Law College, Dhanauri, Roorkee

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, Dehradun. UK

सार:

इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत में वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध की गहन जांच और विश्लेषण करना है। पेपर का उद्देश्य इन वित्तीय अपराधों के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समझ देना है, जिसमें उनके प्रकार, व्यापकता, गैर-पर्यवेक्षी ढांचा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियां और उनके लाभदायक और सामाजिक प्रभाव शामिल हैं। लागू केस अध्ययनों, कानूनी ताने-बाने और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों की जांच के माध्यम से, यह अन्वेषण भारतीय वातावरण में वाणिज्यिक धोखाधड़ी की वर्तमान स्थिति और मितव्ययिता और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य धारणा प्रदान करना चाहता है। इस शोध पत्र का अंतिम लक्ष्य वाणिज्यिक धोखाधड़ी से जुड़े मुद्दों की बेहतर समझ में योगदान देना और इन अपराधों से निपटने के प्रयासों में नीति निर्माताओं, व्यवसायों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मार्गदर्शन करना और भारत में अधिक पारदर्शी और सुरक्षित वाणिज्यिक क्षेत्र का बीमा करना है। इस क्षेत्र में चुनौतियों और खुलेपन की गहरी समझ हासिल करके, अनुसंधान का उद्देश्य भारत में वाणिज्यिक धोखाधड़ी से निपटने के लिए आगे की प्रभावी रणनीतियों और जवाबी उपायों के विकास के लिए बहुमूल्य सिफारिशें देना है। इस शोध पत्र के दायरे में भारतीय परिवेश में वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध से संबंधित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। यह पेपर वाणिज्यिक धोखाधड़ी के विभिन्न रूपों की पड़ताल करता है, जिनमें गबन, अंदरूनी व्यापार, लेखांकन धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। यह भारतीय निगमों के भीतर इन अपराधों की व्यापकता की जांच करता है। यह शोध भारत में वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नियामक ढांचे का विश्लेषण करता है। यह नियामक वातावरण की ताकत और कमियों का आकलन करता है। यह पेपर सफेदपोश दोषियों का पता लगाने, जांच करने और उन्हें फांसी देने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह वित्तीय अपराधों की जटिलता और पुष्टि एकत्र करने में आने वाली बाधाओं जैसे कारकों पर विचार करता है। शोध में भारत की मितव्ययिता और समाज पर वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध के परिणामों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें निवेशकों के विश्वास, नौकरी की सुरक्षा और सार्वजनिक विश्वास पर प्रभाव की जांच करना शामिल है। यह पेपर जुड़ी हुई चुनौतियों से निपटने और भारत में वाणिज्यिक धोखाधड़ी के खतरे को कम करने के लिए सिफारिशें और जवाबी उपाय पेश करता है। यह वाणिज्यिक प्रशासन में प्रगति, नियामक प्रगति और निवेशक शिक्षा के महत्व पर जोर देता है।

इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करके, शोध पत्र का उद्देश्य भारत में वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध का एक व्यापक अवलोकन देना है, जो देश के भीतर वाणिज्यिक क्षेत्र में पारभासी, जिम्मेदारी और विश्वास को बढ़ाने के लिए हितधारकों के लिए बहुमूल्य संवेदनशीलता प्रदान करता है।

कीवर्ड: सफेदपोश अपराध, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय घोटाले, चुनौतियाँ और जवाबी उपाय

1. परिचय:

सफेदपोश अपराध आम तौर पर वाणिज्यिक या व्यावसायिक माहौल में व्यक्तियों द्वारा की गई अहिंसक, वित्तीय रूप से प्रेरित अवैध गतिविधियों से संबंधित है। इन अपराधों की विशेषता बेईमानी, धोखे या विशेष या संगठनात्मक लाभ के लिए विश्वास की कमी है। वे अक्सर किसी कंपनी के भीतर प्राधिकारी या प्रभाव वाले पदों पर व्यक्तियों को शामिल करते हैं। कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराधों के उदाहरणों में गबन, अंदरूनी व्यापार, लेखांकन धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति धोखाधड़ी शामिल हैं। इन गतिविधियों के वित्तीय और सामाजिक रूप से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि वे निवेशकों के विश्वास को कम कर सकते हैं, श्रमिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और राजकोषीय और वाणिज्यिक प्रणालियों की समग्र अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत के माहौल में, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध ने उच्च प्रोफ़ाइल मामलों और इन प्रथाओं से निपटने के लिए नियामक प्रयासों के कारण महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। वाणिज्यिक क्षेत्र और व्यापक अर्थव्यवस्था में पारभासी, जिम्मेदारी और विश्वास बनाए रखने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। इस शोध का उद्देश्य भारतीय परिवेश में वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध से संबंधित चुनौतियों, प्रभावों और जवाबी उपायों का पता लगाना है। वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध भारतीय वातावरण में काफी हद तक लागू और महत्वपूर्ण है और निवेशकों के विश्वास, वैश्विक एकीकरण, नियामक वातावरण, रोजगार और सामाजिक कल्याण, कानूनी और नैतिक मानदंडों और सरकारी पहलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय परिदृश्य अक्सर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराधों की छाया से प्रभावित होता है। हिंसा और शारीरिक क्षति की कमी की विशेषता वाले ये भ्रामक कृत्य अर्थव्यवस्थाओं, व्यवसायों और व्यक्तियों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाते हैं। कॉर्पोरेट धोखाधड़ी में व्यक्तिगत लाभ के लिए या हितधारकों को धोखा देने के लिए वित्तीय विवरणों, लेखांकन रिकॉर्ड या अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं में हेरफेर शामिल है। सफेदपोश अपराधों में आम तौर पर भरोसेमंद पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले गैर-हिंसक अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जिनमें अक्सर वित्तीय उद्देश्य शामिल होते हैं।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

औद्योगिक पूंजीवाद के युग के दौरान, सफेदपोश अपराध पहली बार ब्रिटिश सामाजिक शक्ति के प्रकट होने के साथ भारत में दिखाई दिए। इससे पहले, आधिकारिक रिश्वतखोरी के सबूत या जिला राजकोष के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा उनकी देखरेख में वित्त का गबन करने के मामले पाए गए थे। नतीजतन, यह सफेदपोश अपराधों की सीमा थी। परिणामस्वरूप, जो लोग वर्तमान में सफेदपोश अपराध में संलग्न हैं, उनकी तुलना इतिहास के "नंगे घास खाने वालों" के विपरीत "मांस खाने वालों" से की जा सकती है। जबकि सड़क अपराध, विशेष रूप से ऑटो चोरी और स्वाइपिंग, 2010 से कुछ कम था, 2011 वास्तव में गुमनाम सफेदपोश चोरों का वर्ष था। बड़ी संख्या में सफेदपोश अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है; उनके पास अपराध करने से कमाया गया पैसा, साथ ही उनके फोन और वाहन भी हैं। जिसमें उनके द्वारा किए गए अपराधों के सभी सबूत शामिल हैं और पुलिस के लिए उन्हें बनाना या कैद करना आसान हो जाता है। इस बीच, दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध प्रभाग ने 1,358 मामलों में 16 से अधिक अपराधियों को हिरासत में लिया है, जिनमें जमीन हड़पने से लेकर झूठी नौकरी योजनाओं और अनुमानित 350 से 500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने तक शामिल हैं। जब सफेदपोश अपराध के रूप में जानी जाने वाली वैश्विक घटनाओं की बात आती है तो भारत शायद ही कोई बाहरी व्यक्ति है।

3. कॉर्पोरेट अपराध की विभिन्न संरचना

आर्थिक अपराधियों ने आर्थिक गतिविधि के लगभग सभी क्षेत्रों में कमजोरियों का फायदा उठाया है और हजारों कोर को छीन लिया है। उनकी लूट तब तक जारी रहेगी जब तक कानून निर्माता प्रभावित व्यवस्था में खामियों को दूर नहीं कर लेते। लेकिन आर्थिक अपराधी, क्योंकि उनमें किसी भी प्रणाली में कमजोरियों का फायदा उठाने की क्षमता होती है, या तो एक नए क्षेत्र को पार कर जाते हैं या उस प्रणाली को नष्ट कर देते हैं जो उनका विशेष क्षेत्र है। हाल के दिनों में ही, घोटालों के कारण सरकारी खजाने और लाखों भारतीयों को भारी रकम चुकानी पड़ी है। कुछ प्रमुख कॉर्पोरेट घोटाले/आर्थिक अपराध, जिन्होंने हाल के दिनों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, वे हैं:

i. मनी लॉन्ड्रिंग

मनी लॉन्ड्रिंग का संगठित अपराध के साथ घनिष्ठ संबंध है। मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध रूप से प्राप्त धन की बड़ी मात्रा (मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवादी गतिविधि या अन्य गंभीर अपराधों से[1]) को वैध स्रोत से उत्पन्न होने का आभास दिया जाता है। लेकिन सरल शब्दों में यह काले धन को सफेद धन में बदलना है[2] यह नकदी के विशाल ढेर को साफ करने के लिए वापस लेता है। यदि सफलतापूर्वक किया जाता है, तो यह अपराधियों को अपनी आय पर नियंत्रण बनाए रखने और अंततः उनकी आय के स्रोत के लिए एक वैध कवर प्रदान करने की अनुमति देता है। जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर अपराध की आय से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है या वास्तव में शामिल है और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा। इसलिए, दुनिया के देशों को हाथ मिलाना चाहिए और कानून के आक्रामक प्रवर्तन का सहारा लेकर मनी लॉन्ड्रिंग में लगे सिंडिकेट को खत्म करने के उपायों को अपनाना चाहिए। धन शोधन के माध्यम से सभी स्तरों पर राज्य के ढांचे को दूषित और भ्रष्ट किया जा सकता है, इससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, यह मुनाफे की निरंतर खोज और आपराधिक गतिविधि के नए क्षेत्रों में विस्तार को जोड़ता है।

ii. इनसाइडर ट्रेडिंग

कॉर्पोरेट अंदरूनी सूत्रों को कंपनी के अधिकारियों, निदेशकों और कंपनी की इक्विटी प्रतिभूतियों के एक वर्ग के 10% से अधिक के किसी भी लाभकारी मालिक के रूप में परिभाषित किया गया है। सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर कंपनी के अपने स्टॉक में इस प्रकार के अंदरूनी सूत्रों द्वारा किए गए ट्रेडों को धोखाधड़ी माना जाता है क्योंकि अंदरूनी सूत्र शेयरधारकों को दिए गए प्रत्ययी कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं। जब अंदरूनी सूत्र कंपनी के स्वामित्व वाली जानकारी के आधार पर खरीदता है या बेचता है, तो वह शेयरधारकों के प्रति अपने दायित्व का उल्लंघन कर रहा है[3] हालांकि, "अंदरूनी सूत्र" केवल कॉर्पोरेट अधिकारियों और प्रमुख शेयरधारकों तक ही सीमित नहीं हैं, जहां अवैध अंदरूनी व्यापार का संबंध है, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जो विश्वास के कुछ कर्तव्य के उल्लंघन में सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर शेयरों का व्यापार करता है। यह कर्तव्य लगाया जा सकता है; उदाहरण के लिए, कई न्यायालयों में, ऐसे मामलों में जहां एक कॉर्पोरेट अंदरूनी सूत्र गैर-सार्वजनिक जानकारी के बारे में एक मित्र को "टिप्स" देता है, जिसका कंपनी के शेयर की कीमत पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, कॉर्पोरेट अंदरूनी सूत्र का कंपनी पर बकाया कर्तव्य अब मित्र को लगाया जाता है और मित्र कंपनी के प्रति कर्तव्य का उल्लंघन करता है यदि कॉर्पोरेट अंदरूनी सूत्र इस जानकारी के आधार पर ट्रेड करता है[4] हाल के दिनों में इनसाइडर ट्रेडिंग काफी बड़े पैमाने पर हुई है। नियामक प्रभावकारिता पर अक्सर सवाल उठाया जाता है जब अंदरूनी सूत्र

---

[1] गुप्ता, डॉ. अनुराधा: मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का वित्तपोषण-भारत और अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के तरीकों पर एक अध्ययन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की पत्रिका, खंड 58, संख्या 10, अप्रैल 2010

[2] मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का विवरण, ऑनलाइन उपलब्ध है http://www.gamblingcontrol.org/userfiles/file/bs.pdf.

[3] अबूडी, डी., और बी. लेव, 2000. सूचना विषमता, आरडी, और इनसाइडर गेन्स। जर्नल ऑफ फाइनेंस 55

[4] इस तरह की गतिविधि का एक हालिया उदाहरण प्रसिद्ध इनसाइडर ट्रेडिंग मामला है, जिसमें हेज फंड मैनेजर राजरथिनम को अमेरिकी बाजार नियामक एसईसी ने गोल्डमैन सैक्स स्टॉक पर ट्रेडिंग करते समय त्वरित राउंड ट्रिप लेनदेन करने के लिए पकड़ा था, इससे पहले कि वॉरेन बफेट द्वारा गोल्डमैन सैक्स स्टॉक की खरीद की सार्वजनिक घोषणा की जाती।

व्यापार के माध्यम से निजी जानकारी का शोषण करते हुए पकड़े जाते हैं। अंदरूनी शोषण के नए मामलों का उद्भव, यहां तक कि तंग अंदरूनी व्यापार कानूनों के तहत, साहित्य में मिश्रित अनुभवजन्य साक्ष्य को प्रतिध्वनित करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम रजत के।गुप्ता के मामले में: अदालत से रजत के।गुप्ता को सजा देने का आह्वान किया गया है, जिन्हें 15 जून 2012 को जूरी द्वारा साजिश के एक मामले और तीन मामलों में दोषी पाया गया था। राज राजरत्नम को सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी प्रदान करने के संबंध में, वास्तविक प्रतिभूति धोखाधड़ी की।

iii. प्राथमिक बाज़ार धोखाधड़ी

90's के स्टॉक मार्केट घोटालों ने देश भर के लाखों छोटे निवेशकों को प्रभावित किया। फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेटरों ने प्राथमिक बाजारों में प्रवेश किया और आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ)[5] के माध्यम से, सैकड़ों कोर एकत्र किए और गायब हो गए! विडंबना यह है कि 100 से अधिक कंपनियों के ठिकाने के बारे में अभी भी सेबी या अन्य जांच एजेंसियों को पता नहीं है। यहां तक कि उन कंपनियों ने भी, जो गायब नहीं हुईं, लोगों के पैसे का इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए किया, जिनके लिए इसे एकत्र किया गया था। परिणामस्वरूप, उनके शेयरों का मूल्य गिर गया जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।[6]

केस

सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लि। (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। (एसएचआईसीएल) बनाम सेबी

"शुरुआत में कंपनी SIRECL और SHICL को शामिल करने के लिए, कंपनी ने 2008-2009 में 24,400 करोड़ रुपये के पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर की पेशकश की। यह पेशकश 'मित्रों, सहयोगियों, समूह की कंपनियों, श्रमिकों/कर्मचारियों और सहारा इंडिया समूह की कंपनियों से किसी भी तरह से जुड़े या जुड़े अन्य व्यक्तियों' को की गई थी, लेकिन वास्तव में कुल व्यक्तियों की संख्या लगभग 2.21 करोड़ थी और इन निवेशकों के पते का पता नहीं चल रहा था। वास्तव में बोगस खाता नहीं खोला गया था और डिबेंचर जारी किया गया था और ये डिबेंचर बाद में निर्दोष निवेशकों को जारी किए गए थे। लेकिन आखिरकार 31 अगस्त, 2012 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के खिलाफ फैसला सुनाया और उपरोक्त दो कंपनियों को एकत्रित राशि यानी 24, 400 करोड़ रुपये + 15% ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा।

iv. बैंक धोखाधड़ी

आर्थिक अपराधियों ने राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों को निशाना बनाया है और बैंकों के प्रबंधनों के साथ आपराधिक सांठगांठ करके हजारों करोड़ रुपये हड़प लिए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की विशाल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के लिए केवल बड़े कर्जदार ही जिम्मेदार हैं। 90 के दशक में बेईमान आर्थिक अपराधियों ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में बड़ी संख्या में यूसीबी (शहरी सहकारी बैंक) स्थापित किए और ब्याज की अस्थिर उच्च दर की पेशकश करके हजारों कोर एकत्र किए और बाद में सैकड़ों कोर को या तो खुद को ऋण मंजूर करके, या उन उधारकर्ताओं को जिनके साथ उनका आपराधिक संबंध था, छीन लिया। स्वाभाविक रूप से ऐसे बैंक धराशायी हो गए, जिससे लाखों छोटे निवेशकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

v. आयात/निर्यात धोखाधड़ी

बेईमान व्यापारियों द्वारा कम बीजक आयात और निर्यातों की अधिक बीजक द्वारा धन शोधन संबंधी कार्रवाइयों का बड़े पैमाने पर सहारा लिया गया है और इस प्रकार उनके काले धन को सफेद में परिवतत किया गया है और आय आदि पर आयकर की छूट के रूप में सरकार द्वारा दिए गए उदार प्रोत्साहन प्राप्त किए हैं।

[5] देब.एस., मैरीसेट्टी, बी.वी., 2010. आईपीओ ग्रेडिंग की सूचना सामग्री। जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस 34, 9, 2294-2305

[6] मैरीसेट्टी.वी.बी., और सुब्रह्मण्यम.एम.जी., 2010. समूह संबद्धता और भारतीय स्टॉक बाजार में आईपीओ का प्रदर्शन, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स 13, 196-223।

vi. बीमा धोखाधड़ी

बीमा कंपनियां बीमा अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से या उसके बिना बेईमान दावेदारों द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार हुई हैं। बीमित वस्तुओं में जानबूझकर आग लगाने, गोदामों, कारखानों, एक ही दुर्घटना के आधार पर एक से अधिक दावे करने, भ्रष्ट सर्वेक्षकों द्वारा समर्थित बढ़े हुए दावों के उदाहरण काफी आम हैं।

vii. नकली मुद्रा

नकली नोटों का बड़े पैमाने पर प्रसार अर्थव्यवस्था के साथ-साथ किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। भारत में यह समस्या सदियों पुरानी है, लेकिन तकनीक के विकास से सीमा पार से आए आतंकवादियों से उच्च गुणवत्ता वाले जाली नोट बरामद हुए हैं। विदेशों में मुद्रित जाली मुद्रा को आमतौर पर नेपाल और दुबई के रास्ते भारत में भेजा जाता है। सीमा पार से देश में उच्च गुणवत्ता वाले जाली करेंसी नोटों के अलावा, देश के भीतर आपराधिक गिरोह और व्यक्ति नकली करेंसी नोट बनाने में गणना और परिष्कृत प्रिंटरों का रीमेक उपयोग करते हैं।

चूंकि इस समस्या के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयाम हैं, इसलिए आरबीआई, सीबीआई और राज्य पुलिस बलों द्वारा इससे प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है।

viii. नकली टिकट घोटाला

अब्दुल करीम तेलगी द्वारा पुलिस, सुरक्षा प्रेस और बैंकों तथा बीमा कंपनियों के अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से कई वर्षों तक देश भर में संचालित एक मल्टी कोर जाली स्टाम्प रैकेट ने प्रणाली की भेद्यता को उजागर किया। अकेले इस गिरोह द्वारा सरकारी खजाने को हुए राजस्व नुकसान का अनुमान 25,000 करोड़ रुपये लगाया जा रहा है।

चूंकि देश के विभिन्न भागों में कई अन्य गिरोह भी लगे हुए हैं, इसलिए इस समस्या से सक्रिय और समग्र तरीके से निपटने की आवश्यकता है।

4. भारत में व्यापक रूप से देखे गए कॉर्पोरेट सफेदपोश अपराध

i. वित्तीय विवरण हेरफेरः

राजकोषीय विवरण हेरफेर, जिसे राजकोषीय विवरण धोखाधड़ी या राजकोषीय विवरण धोखाधड़ी के रूप में भी जाना जाता है, कंपनी के राजकोषीय स्वास्थ्य, प्रदर्शन या स्थिति के बारे में निवेशकों, लेनदारों या अन्य हितधारकों को धोखा देने के लिए कंपनी के राजकोषीय विवरणों के उद्देश्यपूर्ण संशोधन या गलत बयानी को संदर्भित करता है। इस अनैतिक और अवैध प्रथा के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और यह लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों का उल्लंघन है।

सत्यम स्कैंडल[7] (2009) में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के अध्यक्ष द्वारा राजकोषीय विवरणों में हेरफेर शामिल था, जिससे अतिरंजित लाभ और संपत्ति हुई। इनसाइडर ट्रेडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एक सुरक्षा (स्टॉक, बॉन्ड, विकल्प, या अन्य वित्तीय साधनों के समान) की खरीद या बिक्री है, जो एक प्रत्ययी कर्तव्य या विश्वास और विश्वास के अन्य संबंध के उल्लंघन में है, जबकि सुरक्षा के बारे में सामग्री, गोपनीय जानकारी के कब्जे में। सरल शब्दों में, इसमें गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर व्यापार शामिल है जो अभी तक जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है।

रजत गुप्ता[8] (2012) के मामले में गोल्डमैन सैक्स के एक भारतीय मूल के पूर्व निदेशक शामिल थे, जिन्हें भारतीय कंपनी, इंफोसिस से संबंधित अंदरूनी व्यापार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में दोषी ठहराया गया था।

[7] (2005) 6 एससीसी 292 43 वीआरएस, जे एंड जेयूडी, 2012 का जे डब्ल्यूपीनंबर 37487 और डब्ल्यूएएमपी।
[8] हीली, पॉल, और यूजीन सोलटेस। "रजत गुप्ता।" हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केस 117-004, दिसंबर 2016। (संशोधित जनवरी 2022।)

ii. रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार

रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार अनैतिक और अवैध प्रथाएं हैं जिनमें अवैध लाभ हासिल करने या किसी स्थिति में हेरफेर करने के लिए धन, वस्तुओं, सेवाओं या प्रभाव का आदान-प्रदान शामिल है। इन गतिविधियों के व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण लाभदायक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।

भारत में 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला (2012)[9] भारत में सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों में से एक था, जिसमें कंपनियों को बाजार से कम कीमतों पर 2 जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस का अभद्र आवंटन शामिल था।

iii. मनी लॉन्ड्रिंग

मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध गतिविधियों की आय को ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि वे कानूनी स्रोतों से आती हैं। यह एक जटिल और गुप्त प्रक्रिया है जिसका उपयोग व्यक्तियों, गुंडागर्दी करने वाले संगठनों और यहां तक कि ढीली सरकारों द्वारा अनैतिक रूप से प्राप्त धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए किया जाता है।

भारत में चित्रण: आईएनएक्स मीडिया केस[10] और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी केस[11] सहित रंगीन मनी लॉन्ड्रिंग मामलों ने जटिल नेटवर्क के माध्यम से अराजक धन ले जाने के उदाहरणों पर प्रकाश डाला।

iv. प्रतिभूति धोखाधड़ी

प्रतिभूति धोखाधड़ी स्टॉक, बांड, विकल्प और अन्य राजकोषीय उपकरणों के समान प्रतिभूतियों से जुड़ी कई अवैध गतिविधियों और भ्रामक प्रथाओं को संदर्भित करती है। इन कपटपूर्ण गतिविधियों का उद्देश्य निवेशकों को गुमराह करना, राजकोषीय बाजारों में हेरफेर करना, या प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से गैरकानूनी रूप से लाभ उठाना है।

भारत में चित्रण: सहारा समूह६ एक प्रतिभूति धोखाधड़ी मामले में शामिल था जहां उन्होंने नियामकीय मंजूरी के बिना वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के माध्यम से धन जुटाया था।

v. कर चोरी

शुल्क चोरी जानबूझकर आय को कम करने, कटौतियों को बढ़ाने, या किसी की कर देनदारी को कम करने और उचित बकाया से कम लेवी का भुगतान करने के लिए अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने का अवैध कार्य है। कर चोरी एक गंभीर राजकोषीय अपराध है और कर से बचाव से अलग है, जिसमें कर दायित्व को कम करने के लिए कानूनी तरीकों का उपयोग करना शामिल है।

भारत में चित्रण: वोडाफोन कर विवाद[12] एक हाई प्रोफाइल मामला था जिसमें दूरसंचार कंपनी वोडाफोन द्वारा हचिसन एस्सार के अधिग्रहण में शुल्क चोरी के आरोप शामिल थे।

vi. फ़िशिंग और साइबर धोखाधड़ी

फ़िशिंग और साइबर धोखाधड़ी डिजिटल क्षेत्र में होने वाली भयानक गतिविधियाँ हैं, जिनका उद्देश्य आमतौर पर व्यक्तियों या संगठनों को संवेदनशील जानकारी, धन या कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच चुराने के लिए धोखा देना है। ये गतिविधियाँ साइबर अपराधियों द्वारा की जाती हैं और इसके महत्वपूर्ण वित्तीय, विशेष और सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं।

---

[9] सुब्रमण्यम स्वामी बनाम ए. राजा, 24 अगस्त, 2012

[10] पी चिदंबरम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो

[11] विकिपीडिया, "पंजाब नेशनल बैंक घोटाला"

[12] वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी.वी. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2012) 6 एससीसी 613. (2012) 6 एससीसी 613 https://www.scconline.com/blog/post/2022/11/29/vodafone-versus-india-a-never-ending-saga/

भारत में चित्रण: भारत में व्यक्तियों और संगठनों को लक्षित करने वाले फ़िशिंग हमलों सहित साइबर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय नुकसान और डेटा उल्लंघन हुआ है।

vii. शेयर बाजार में हेरफेर

शेयर बाजार में हेरफेर से तात्पर्य अवैध लाभ या लाभ प्राप्त करने के लिए किसी स्टॉक या प्रतिभूतियों की कीमत या व्यापारिक परिश्रम को कृत्रिम रूप से प्रभावित करने के जानबूझकर और अवैध प्रयास से है। हेरफेर राजकोषीय बाजारों की अखंडता और निष्पक्षता को कमजोर करता है और निवेशकों और व्यापक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है।

भारत में चित्रण: हर्षद मेहता घोटाला (1992) भारत के सबसे कुख्यात शेयर बाजार हेरफेर मामलों में से एक था, जिसमें प्रतिभूति बाजार में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी शामिल थी।

viii. बैंकिंग घोटाले

बैंकिंग धोखाधड़ी में विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो व्यक्तियों या वित्तीय संस्थानों को धन, संवेदनशील जानकारी या बैंक खातों तक पहुंच चुराने के लिए लक्षित करती हैं। ये घोटाले रंगीन रूप ले सकते हैं और अक्सर पीड़ितों को गैर-सार्वजनिक जानकारी खोजने या धोखेबाजों को धन हस्तांतरित करने के लिए धोखा देना शामिल होता है।

भारत में चित्रण नीरव मोदी-पीएनबी फिडेल (2018) ने पंजाब नेशनल बैंक में फर्जी गारंटी और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के दुरुपयोग से जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा किया।

ix. वाणिज्यिक शासन मुद्दे

वाणिज्यिक शासन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक कंपनी को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। इसमें एक कंपनी की संरचना कैसे होती है, इसका नेतृत्व कैसे संचालित होता है, और यह शेयरधारकों, श्रमिकों, मेहमानों और व्यापक समुदाय सहित रंगीन हितधारकों के साथ कैसे बातचीत करता है, से संबंधित कई मुद्दे शामिल हैं। वाणिज्यिक प्रशासन के मुद्दे किसी कंपनी के प्रदर्शन, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

भारत में चित्रण: आईएल एंड एफएस (इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज) जैसी कंपनियों में वाणिज्यिक प्रशासन के मुद्दों ने कुप्रबंधन और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में चिंता जताई।

5. भारत में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराधों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख विनियम और कानून

भारत में, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध मुख्य रूप से कई प्रमुख नियमों और कानूनों द्वारा शासित होते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण हैं:

i. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी):

आईपीसी में धोखाधड़ी (धारा 415-420), जालसाजी (धारा 463-477ए), जालसाजी (धारा 231-238), आपराधिक विश्वासघात (धारा 405-409) जैसे आपराधिक कृत्यों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।), और संबंधित अपराध जिनमें कॉर्पोरेट धोखाधड़ी शामिल हो सकती है।

ii. कंपनी अधिनियम, 2013:

यह कानून मुख्य रूप से भारत में कंपनियों को नियंत्रित करता है और इसमें कॉर्पोरेट प्रशासन, वित्तीय रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और धोखाधड़ी की रोकथाम से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। कंपनी अधिनियम में धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए दंड से संबंधित विशिष्ट धाराओं की रूपरेखा दी गई है।

iii. **धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002:**

पीएमएलए का उद्देश्य धन शोधन को रोकना है और अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी अपराध से प्राप्त अपराध की आय से संबंधित अपराधों से संबंधित है, जिसमें सफेदपोश अपराध शामिल हैं।

iv. **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:**

यह अधिनियम मुख्य रूप से सार्वजनिक अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार से संबंधित है, लेकिन इसमें रिश्वतखोरी और आधिकारिक पद का दुरुपयोग भी शामिल है जिसे कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों से जोड़ा जा सकता है।

v. **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992:**

सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है और प्रतिभूति लेनदेन, अंदरूनी व्यापार और बाजार में हेरफेर में धोखाधड़ी प्रथाओं की जांच करने और कार्रवाई करने की शक्तियां रखता है।

vi. **बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949:**

यह भारत में बैंकिंग कंपनियों को नियंत्रित करता है और इसमें बैंकिंग संस्थानों द्वारा या उनके खिलाफ किए गए धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

vii. **आयकर अधिनियम, 1961:**

यह अधिनियम कर चोरी और धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है, जिसे वित्तीय गलतबयानी से जुड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों के साथ जोड़ा जा सकता है।

viii. **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999:**

फेमा विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करता है और सीमा पार लेनदेन से संबंधित विदेशी मुद्रा उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों से निपटता है।

ix. **दिवाला और दिवालियापन धोखाधड़ी रोकथाम विधेयक, 2021:**

इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिवाला और दिवालियापन की कार्यवाही से संबंधित धोखाधड़ी को रोकना और उनका पता लगाना है, जिससे लेनदारों की रक्षा हो सके और प्रक्रिया की अखंडता बनी रहे।

x. **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:**

यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित है, जिसमें प्रभुत्व का दुरुपयोग भी शामिल है, जिसमें धोखाधड़ी या अनैतिक व्यावसायिक प्रथाएं शामिल हो सकती हैं।

xi. **भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई):**

आरबीआई भारत में केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करता है। इसमें वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानकों के अनुपालन की आवश्यकता है।

xii. **गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ):**

एसएफआईओ सामान्य मामलों के मंत्रालय के भीतर एक विशेष एजेंसी है जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध के गंभीर मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार है। इसमें धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति है।

xiii. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई):

सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो सफेदपोश अपराधों, भ्रष्टाचार और देश को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों को संभालने में सक्षम है।

ये कानून सामूहिक रूप से भारत में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराधों के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसमें वित्तीय गलतबयानी से लेकर रिश्वतखोरी, अंदरूनी व्यापार और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियां शामिल हैं। सेबी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे नियामक निकाय इन कानूनों को लागू करने और अपराधों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

6. कॉरपोरेट धोखाधड़ी का पता लगाने में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने कानूनी चुनौतियां:

i. वित्तीय लेनदेन की जटिलता:

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी में अक्सर जटिल वित्तीय लेनदेन और लेखांकन हेरफेर शामिल होते हैं, जिससे जांचकर्ताओं के लिए धोखाधड़ी गतिविधियों की वास्तविक प्रकृति को उजागर करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

ii. विशिष्ट कौशल और प्रशिक्षण की कमी:

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच के लिए फोरेंसिक लेखांकन, वित्तीय विश्लेषण और कॉर्पोरेट संरचनाओं की समझ में विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, जिसकी कानून प्रवर्तन कर्मियों में कमी हो सकती है।

iii. अपराधों की सीमा-पार प्रकृति:

कई कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, अपतटीय संस्थाएं और जटिल वित्तीय नेटवर्क शामिल होते हैं, जिनके लिए विदेशी अधिकारियों के साथ समन्वय और अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे को नेविगेट करने की आवश्यकता होती है।

iv. कानूनी कार्यवाही में देरी:

भारतीय कानूनी प्रणाली को मामलों के बड़े बैकलॉग, प्रक्रियात्मक जटिलताओं और बार-बार स्थगन के कारण मामलों को संसाधित करने में महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ता है, जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों के समय पर अभियोजन में बाधा डाल सकता है।

v. व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन:

भले ही भारत में व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए कानून हैं, फिर भी लोग कॉर्पोरेट गलत कामों के बारे में जानकारी के साथ आगे आने में अनिच्छुक हो सकते हैं क्योंकि वे प्रतिशोध से डरते हैं या सिस्टम पर भरोसा नहीं करते हैं।

vi. पर्याप्त संसाधनों की कमी:

कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अक्सर जनशक्ति, प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण के मामले में संसाधन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी योजनाओं की गहन जांच करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

vii. कॉर्पोरेट संस्कृति और प्रभाव:

शक्तिशाली कॉर्पोरेट संस्थाएँ राजनीतिक संबंधों, कानूनी चालों या वित्तीय संसाधनों के माध्यम से प्रभाव डाल सकती हैं, संभावित रूप से जांच और अभियोजन में बाधा डाल सकती हैं या देरी कर सकती हैं।

viii. क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे:

क्षेत्राधिकार का निर्धारण करना और भारत के भीतर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई न्यायालयों को शामिल करते हुए जांच का समन्वय करना चुनौतीपूर्ण और समय लेने वाला हो सकता है।

ix. सार्वजनिक धारणा और जागरूकता:

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की कमी ऐसे अपराधों को प्राथमिकता देने और प्रभावी ढंग से जांच करने के लिए अधिकारियों पर दबाव को कम कर सकती है।

7. सफेदपोश-अपराधों और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का प्रभाव

i. वित्तीय नुकसान:

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के सबसे प्रत्यक्ष प्रभावों में से एक वित्तीय नुकसान है। निवेशकों, शेयरधारकों, लेनदारों और अन्य हितधारकों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है जब धोखाधड़ी गतिविधियों के परिणामस्वरूप धन का दुरुपयोग, स्टॉक मूल्य में हेरफेर, या वित्तीय विवरण धोखाधड़ी होती है।

ii. प्रतिष्ठा को नुकसान:

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी में शामिल कंपनियां अक्सर धूमिल प्रतिष्ठा का अनुभव करती हैं। इससे ग्राहकों, निवेशकों और व्यावसायिक भागीदारों के बीच विश्वास की हानि हो सकती है, जिसके व्यावसायिक संचालन और लाभप्रदता पर दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।

iii. नौकरी छूटना और आर्थिक प्रभाव:

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के गंभीर मामलों से व्यावसायिक विफलताएं, छंटनी और आर्थिक मंदी हो सकती है, खासकर यदि धोखाधड़ी बड़ी कंपनियों या प्रमुख उद्योगों को प्रभावित करती है। यह अर्थव्यवस्था में व्याप्त हो सकता है, जिससे रोजगार दर और उपभोक्ता विश्वास प्रभावित हो सकता है।

iv. कानूनी और नियामक परिणाम:

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की दोषी पाई जाने वाली कंपनियों को जुर्माना, जुर्माना और कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल अधिकारियों और व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, कारावास और नागरिक मुकदमे चलाए जा सकते हैं, जिससे उनके करियर और व्यक्तिगत वित्त को और नुकसान हो सकता है।

v. बाजार विकृति और अक्षमता:

अंदरूनी व्यापार या बाजार में हेरफेर जैसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियां बाजार की गतिशीलता को विकृत करती हैं, जिससे संसाधनों का अकुशल आवंटन होता है और वित्तीय बाजारों की अखंडता कमजोर होती है।

vi. निवेशक विश्वास की हानि:

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी वित्तीय बाजारों की पारदर्शिता और निष्पक्षता में निवेशकों के विश्वास को कम करती है। इससे पूंजी प्रवाह कम हो सकता है, व्यवसायों के लिए पूंजी की लागत बढ़ सकती है, और निवेशकों के बीच जोखिम भरे या धोखाधड़ी वाले बाजारों में भाग लेने की अनिच्छा हो सकती है।

vii. नियामक सुधार और अनुपालन लागत:

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के हाई-प्रोफाइल मामले अक्सर नियामक अधिकारियों को सख्त नियम और निरीक्षण उपाय पेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत बढ़ सकती है और विशेष रूप से छोटी कंपनियों पर प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है।

viii. कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रभाव:

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के उदाहरण कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं में कमजोरियों को उजागर करते हैं, जिनमें अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, स्वतंत्र निरीक्षण की कमी और अप्रभावी जोखिम प्रबंधन शामिल हैं। यह शासन ढांचे को मजबूत करने के लिए कंपनियों और नियामक निकायों के भीतर सुधारों को प्रेरित कर सकता है।

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के व्यापक सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, संस्थानों में जनता का विश्वास कम हो सकता है और असमानताएँ बढ़ सकती हैं। यह बड़े पैमाने पर व्यापारिक समुदाय और समाज के भीतर अनुचितता और भ्रष्टाचार की धारणा में भी योगदान दे सकता है।

8. उपाय

सफेदपोश अपराध को किसी भी अधिनियम या कोड में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, ऐसे विभिन्न कानून हैं जो सफेदपोश अपराध के दायरे को छूते हैं। इन विधानों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, कंपनी अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम और आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम शामिल हैं।

वर्तमान परिदृश्य में, हमारी शीर्ष कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय और सीमा शुल्क विभाग को मजबूत करने की आवश्यकता है। शीर्ष रैंकिंग अधिकारियों की नियमित रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे निकायों द्वारा जांच की जानी चाहिए। अगर इन एजेंसियों को मजबूत किया जाए तो ही सफेदपोश आपराधिकता की समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पर्याप्त अधिकार प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि इन एजेंसियों की मदद के बिना हमारे देश से भ्रष्टाचार और अन्य आर्थिक अपराधों को खत्म नहीं किया जा सकता है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण न केवल ऐसे अपराधों पर नज़र रखने में मदद करेगा बल्कि उन्हें अन्य अपराधों से सफेदपोश अपराधों में भी अंतर लाएगा।

इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। यह देखा गया है कि दोषी पाए जाने पर सफेदपोश अपराधी छोटे-मोटे जुर्माने या हल्की सजा से बच जाते हैं। इन अपराधियों को दंडित करते समय न्यायपालिका द्वारा इस्तेमाल किया गया दृष्टिकोण सफेदपोश आपराधिकता के खतरे को रोकने में विफल रहा है। इस प्रकार, अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करके फास्ट ट्रैक अदालतों/न्यायाधिकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिए। उक्त अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर न्यायाधिकरणों को जुर्माना लगाने और किसी को भी सजा देने की शक्ति दी जानी चाहिए।

अंत में, सरकार को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सफेदपोश अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने की पहल करनी चाहिए। जनता को सफेदपोश अपराधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वे अन्य अपराधों से कैसे भिन्न हैं।

9. निष्कर्ष

निष्कर्ष में, भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये जटिल और अक्सर विनाशकारी वित्तीय उल्लंघन आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकते हैं, श्रमिकों, निवेशकों और आम जनता को घायल कर सकते हैं और दूरगामी आर्थिक प्रभाव डाल सकते हैं। बहरहाल, सक्रिय रुख अपनाकर और संगठनात्मक, कानूनी और नियामक उपायों को मिलाकर इन कठिनाइयों से सफलतापूर्वक बचा जा सकता है और निपटा जा सकता है। जहां तक मेरी राय है, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध के विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन सक्रिय कदम उठाकर और नैतिक व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध होकर उनकी आवृत्ति और प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। भारत, अन्य देशों की तरह, इन निवारक उपायों को लागू करके और अखंडता और जवाबदेही की संस्कृति विकसित करके अपनी अर्थव्यवस्था, व्यवसायों और समाज को वित्तीय कदाचार के हानिकारक प्रभावों से बचाने का प्रयास कर सकता है। पिछले कुछ

दशकों में विज्ञान और प्रौद्योगिकियों की प्रगति ने अपराध का एक नया रूप तैयार किया है जिसे 'व्हाइट कॉलर क्राइम' के रूप में जाना जाता है और इस अपराध के अनुभाग पर व्यक्तिगत लालच के कारण जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, अर्थात। कॉर्पोरेट धोखाधड़ी। समाज में अधिकांश आर्थिक नुकसान के लिए कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जिम्मेदार है। राष्ट्र के लोग निजी क्षेत्र में निवेश से भी अपना विश्वास खो देते हैं। जहां निजी क्षेत्र भारी आर्थिक विकास में मदद कर सकता है, आजकल यह धोखाधड़ी के क्षेत्र में अधिक लिप्त है। भारत सरकार ने भारत में इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ तंत्र हैं जो भारत सरकार द्वारा उद्धृत किए गए हैं जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धोखाधड़ी को रोका जा सकता है।

अंत में, मैं उस धारा 211 को समाप्त करना चाहूंगा जो इस बारे में बात करती है कि केंद्र सरकार धारा 212 के अनुसार कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी की जांच के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) नामक एक कार्यालय स्थापित करेगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार किसी कंपनी के मामलों की जांच का आदेश भी दे सकती है और रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर। सफेदपोश अपराध के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव जागरूकता है। व्यवसाय अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं और इसकी बारीकियों से अवगत होकर अपनी अखंडता को बनाए रख सकते हैं। आगे का रास्ता स्पष्ट है, जिसकी शुरुआत धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने और अनुपालन और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने से होगी। इन अदृश्य शत्रुओं के विरुद्ध सबसे बड़ा बचाव जागरूकता और शिक्षा है।

सन्दर्भ

1. अनंत बंडू बनाम कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता, एआईआर कैल, 1952, 759।

2. सहायक आयुक्त, मूल्यांकन I, बैंगलोर बनाम वेलियप्पा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, २००४ १ कॉम्प एलजे २१ (एससी): एआईआर 2004 एससी 86 (2004) सीआरआई: एलजे 1221।

3. गिरधारी लाल गुप्ता बनाम डी एच। मेहता और एक अन्य, एससीसी (3) 189।

4. हनुमंतु केडी, वर्लीकर वी, नारायणस्वामी एस। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला: नैतिकता बनाम मजबूत प्रक्रियाएं। जर्नल ऑफ़ पब्लिक अफेयर्स, 2019, 19(4)। https://doi.org/10.1002/pa.1952

5. हीली पॉल, यूजीन सोलटेस। "रजत गुप्ता।" हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केस, दिसंबर 2016। (संशोधित), 2022, 117-004.

6. कोल्टे ए, कैपासो ए, रॉसी एम। किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता का आलोचनात्मक विश्लेषण। प्रबंधकीय और वित्तीय लेखांकन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 2018:10(4):391। https://doi.org/10.1504/ijmfa.2018.095976

7. कृष्ण शंकरन। भारत में संविधानवाद, लोकतंत्र और राजनीतिक संस्कृति, डैनियल पी। फ्रैंकलिन और माइकल जे। बाउन, संस्करण में। राजनीतिक संस्कृति और संविधानवाद। आर्मोंक, एनवाई: एमई शार्प, 1994, 161-83.

8. कुसुम प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम एसके। सिन्हा का मामला, आईटीआर (कैल), 1984149:250।

9. पी चिदंबरम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो

10. राधे श्याम खेमका बनाम बिहार राज्य, एससीसी, 1993:3:54।